PHILOSOPHY

B.A. (Hons.), Paper III (Part II)

Dr. S. K. Singh
mob.- 9431449951

Postulates of Morality

नीतिशास्त्र की ~~मान्यताएँ~~ पूर्वमान्यताएँ

→ नीतिशास्त्र आचरण का विज्ञान (Science of Conduct) है। किन्तु नीतिशास्त्र के अन्तर्गत सभी आचरणों के संबंध में अध्ययन नहीं होता क्योंकि नीतिशास्त्र की कुछ पूर्वमान्यताएँ हैं। यदि कोई आचरण इन मान्यताओं के दायरे में है, तो ~~उसी आ~~ वही आचरण ~~इस लिए~~ नीतिशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय होता है। अतः ये पूर्वमान्यताएँ नैतिकता की आधारशिला हैं। ये हैं—

(i) **व्यक्तित्व (Personality)**:— नैतिकता का केन्द्र बिन्दु व्यक्तित्व है। यदि आचरण करनेवाला कोई व्यक्तित्व न हो, तो फिर नैतिक निर्णय अर्थहीन हो जाता है। अतः नैतिकता के लिये प्रथम आवश्यक मान्यता है कि आचरण करनेवाला कोई व्यक्ति हो। नैतिक सिद्धान्तों का ज्ञाता एवं संकल्पजनित ~~कार्य~~ कार्य करने की क्षमता एक विवेकी व्यक्ति में ही हो सकता है। व्यक्तित्व के अन्तर्गत आत्म-चेतना, आत्म-निर्णय, आत्मनियंत्रित क्रिया ~~सम्मि~~ सम्मिलित रहती है। अतः व्यक्ति से इतर दूसरे जीवों का आचरण नैतिकता का प्रतिपाद्य विषय नहीं है।

(ii) **विवेक (Reason)**:— मनुष्य में दो गुण सामान्य रूप से पाये जाते हैं — पशुत्व और विवेक (animality and rationality)। विवेक के कारण ही मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ है। विवेक के आधार पर ही व्यक्ति के कर्मों का मूल्यांकन उचित-अनुचित, शुभ-अशुभ आदि प्रत्ययों में किया जाता है। अतः नैतिकता की दूसरी आवश्यक मान्यता विवेकशीलता है। वैसे व्यक्ति जो विवेकहीन हैं (यथा- बालक, विक्षिप्त ~~और~~ आदि), के आचरण नैतिकता के परिधि के बाहर होते हैं; विवेकहीन व्यक्तियों के आचरण का अध्ययन नीतिशास्त्र में नहीं होता।

(iii) **संकल्प की स्वतंत्रता (Freedom of Will)**:— मनुष्य के ऐच्छिक कर्म ही नैतिक निर्णय का विषय है।

Scanned with CamScanner

ऐच्छिक कर्म संकल्प की स्वतंत्रता के बिना संभव नहीं है। इस प्रकार वैसा व्यक्ति जो विवेकशील है एवं अपने इच्छा-स्वातंत्र्य से किसी आचरण को करे तो वैसा आचरण नीतिशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय होगा।

संकल्प की स्वतंत्रता नैतिक आचरण का मेरुदण्ड है। केवल वही कर्म नैतिक मूल्यांकन के योग्य हैं जो स्वतंत्र संकल्प से किया गया है। बिना किसी बाह्य प्रलोभन या दबाव के अपनी इच्छानुसार किसी कार्य के करने अथवा न करने की स्वतंत्रता ही संकल्प की स्वतंत्रता है। संकल्प की स्वतंत्रता होने पर ही उत्तरदायित्व की ठीक प्रकार से व्याख्या संभव हो सकती है।

संकल्प-स्वातंत्र्य की व्याख्या के लिये कुछ अनिवार्य दशाएँ अपेक्षित हैं। ये हैं-

(a) सामर्थ्य → मनुष्य केवल उन्हीं कर्मों को करने के लिये स्वतंत्र है जिसे करने की उसमें शारीरिक और मानसिक क्षमता हो। दूसरे शब्दों में - 'यदि वो चाहे तो उस कर्म को कर सकता है'; उदाहरणार्थ - तैरने की क्षमता होते हुये भी डूबते व्यक्ति को नहीं बचाना अनुचित कही है।

(b) ज्ञान एवं उद्देश्य → मनुष्य को केवल उन्हीं कर्मों (आचरणों) के लिये उत्तरदायी माना जा सकता है जिसे वह सोच-समझकर, उद्देश्य को ध्यान में रखकर, जान-बूझकर करता है; उदाहरणार्थ - छींक आने पर किसी को चोट लगे तो वह व्यक्ति नैतिक रूप से पूर्णतः उत्तरदायी नहीं होगा क्योंकि उसका उद्देश्य चोट पहुँचाना नहीं था।

(c) विकल्पों की उपस्थिति → किसी विशेष आवश्यकता पर व्यक्ति जो कर्म करता है, उस अवसर पर उस कर्म से भिन्न कर्म करने का विकल्प होना चाहिये; उदाहरणार्थ अकालग्रस्त गाँव में भूखे व्यक्ति द्वारा कहीं संग्रहित अन्न की चोरी करना, — यह उसकी विवशता होगी।

Scanned with CamScanner